केरल राज्य विद्युत बोर्ड

बनाम

चिनम्माएंटनी

(2008 की सिविल अपील संख्या 4381)

15 जुलाई, 2008

[डॉ अरिजीत पसायत और एच. एस. बेदी, न्यायाधिपतिगतण]

मुआवजा- बिजली लाइन के कारण भूमि के मूल्य में कमी के लिए- जिला न्यायाधीश द्वारा बढ़ाया गया- उच्च न्यायालय द्वारा। पुनरीक्षण याचिका खारिज- अपील पर, माना गयाः मुआवजे को उच्चतम न्यायालय के प्रासंगिक निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करने की आवश्यकता है मामला उच्च न्यायालय को भेजा गया।

प्रतिवादी को उसकी संपत्ति पर बिजली लाइन खींचने के कारण भूमि के मूल्य में कमी के लिए मुआवजा दिया गया। जिला न्यायाधीश ने कथित नुकसान के लिए मुआवजा बढ़ा दिया हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी, इसलिए वर्तमान अपील।अपील की अनुमति देते हुए मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि -

भूमि की स्थिति, उस पर बिछाई गई हाई वोल्टेज बिजली लाइन के बीच की दूरी उस पर लाइन की सीमा और यह भी तथ्य कि क्या हाई वोल्टेज लाइन भूमि के एक छोटे से हिस्से से गुजरती है या उसके बीच से होकर गुजरती है और अन्य समान प्रासंगिक कारक मुआवजा देने के लिए निर्धारक होंगे। भूमि का मूल्य भी एक प्रासंगिक

कारक होगा। भूमि का मालिक संपत्ति का उपयोग करने का अपना वास्तविक अधिकार खो सकता है जिसके लिए उसका उपयोग किया जाना था। जहां तक फलदार पेड़ों के संबंध में मुआवजे का सवाल है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा।

उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाना चाहिए। [Paras 3 and 5] [1010 A-C; 1010-C]

केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम लिविशा आदि। आदि 2007 (6) एससीसी 792; केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम बी. श्रीकुमारी 2008 (5) एससीसी 398 पर आधारित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 4381/2008

एर्नाकुलम में केरल उच्च न्यायालय के सी. आर. पी. 960/2005 में निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 16/11/2005 से

एम.टी. जॉर्ज अपीलार्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति

1. अनुमति स्वीकृत

2. इस अपील में चुनौती केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को है, जिसमें अपीलकर्ता-केरल राज्य विद्युतबोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड) द्वारा दायर सिविल पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था। सिविल पुनरीक्षण में चुनौती अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, थोडुपुझा द्वारा पारित आदेश जिसके अनुसार प्रतिवादी (इसके बाद दावेदार के रूप में संदर्भित) को उसकी संपत्ति पर बिजली लाइन खींचने के

कारण हुए कवित नुकसान के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा दिया था। विवाद भूमि मूल्य में कमी के लिए दिए गए मुआवजे और ब्याज अनुदान से संबंधित है। कुंभा अम्मा बनाम केएसईबी [2002 (1) केएलटी 5421 में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने सिविल पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

3. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता-बोर्ड के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से आरक्षणीय है क्योंकि कम्बा अम्मा के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ के फैसले को केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम लिविशा आदि (2007 (6) एससीसी 792) की सिविल अपील संख्या 289 of 2006 और अन्य सिविल अपीलों में सामान्य निर्णय द्वारा इस अदालत द्वारा अपास्त कर दिया गया था। इस न्यायालय ने प्रत्येक मामले में आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया इसे अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार देखा गया -

> **"10.** भूमि की स्थिति उस पर बिछाईगई हाई वोल्टेज बिजली, लाइन के बीच की दूरी, उस पर लाइन की सीमा और यह तथ्य भी किक्या हाई वोल्टेज लाइन भूमि के एक छोटे से हिस्से के ऊपर से गुजरती है या उसके बीच से होकर गुजरती है और अन्य समान प्रासंगिक कारक हमारी राय में निर्धारक होंगे। भूमि का मूल्य भी एक प्रासंगिक कारक होगा। इसके अलावा, किसी भी स्थिति में भूमि का मालिक उस उद्देश्य के लिएसंपत्ति का उपयोग करने का अपना वास्तविक अधिकार खो सकता है जिसके लिए उस का उपयोग किया जाना था।

11. जहां तक फल देने वाले पेड़ों के संबंध में मुआवजे का सवाल है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा। संयोग से, हम भूमि अधिग्रहण अधिकारी बनाम कामदाना रामकृष्ण राव (2007 (3) एससीसी 626) में इस न्यायालय के एक हालिया फैसले का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत देय मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए उपज के आधार पर दावे को प्रासंगिक माना गया है। अधिग्रहण अधिनियम में कपूर सिंह मिस्त्र बनाम पंजाब सरकार के वित्तीय आयुक्त एवं राजस्व सचिव (1995 सप्लिमेंट (2) एससीसी 635) हरियाणा राज्य बनाम गुरचरण सिंह (1995 सप्लिमेंट (2) एससीसी 637), पैरा 4 और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बनाम सत्यगोपाल रॉय (2002 (3) एससीसी 527) विमानपत्तन प्राधिकरण के मामले में (सुप्रा) भी यह अभिनिर्धारित किया गया था है- (एससीसी पृष्ठ 633, पैरा 14)

14॰ इसलिए, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के पास गुरचरण सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयका पालन न करने और पेड़ों के उपज के आधार पर 8 साल का गुणक लगाते हुए प्रत्यर्थी को देय मुआवजे का निर्धारण न करने का कोई कारण नहीं था। इस मामले में, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने 18 के गुणक को अपनाते हुए मुआवजा देने में स्पष्ट त्रुटि की है।

12. इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय को प्रत्येक मामले पर नए सिरे से विचार करना चाहिए।उसमें प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए। इसलिए, आक्षेपित निर्णयों को कायम नहीं रखा

जा सकता है इन्हें तद्नुसार अपास्त किया जाता है। मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय को वापिस भेज दिया गया है, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।"

4. नोटिस दिए जाने के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुई है।

5. ऊपर उल्लिखित निर्णय में इस न्यायालय द्वारा और केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम बी. श्रीकुमारी (2008 (5) एससीसी 398), में व्यक्त दृष्टिकोण के अनुसार हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को आपास्त करते हैं और ऊपर उल्लिखित निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए भेजा जाता है।

6. लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील की अनुमति दी जाती है।

के. के. टी.

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी जतिन परमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।